

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत लाभ लेने हेतु
जीवित प्रमाण पत्र

मैंपद का नाम
कार्यालय का नाम/पता.....
एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्रीमान/श्रीमती
.....पिता/पति.....छ.ग.भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीयन क.....
आधार क.....जन्मतिथि.....वर्तमान
पता
फोन नं.....जिला.....का/की
निवासी है। जो कि मेरे समक्ष दिनांकको व्यक्तिगत रूप से
उपस्थित थे। तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत
पेंशनर है। मैं इनकी पहचान की पुष्टि करता/करती हूँ।

पदमुद्रा सहित जारीकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर/मोबाईल नं.


4/12/14

टीप:- पेंशन योजना की सहायता राशि जारी रखने के लिए हितग्राही को प्रत्येक वर्ष माह-मार्च (1 मार्च
से 31 मार्च तक में) जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (राजपत्रित
अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम
उपनिरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।)